आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

आँगनबाड़ी पुनरीक्षण अपीलवाद सं0-203/2022

आशा कुमारी.....अपीलकर्त्ता

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्य.....विपक्षीगण

26.4.2024

आदेश

प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षण अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C No.-20580/2019 में दिनांक 01.11.2022 को पारित आदेश के आलोक में इस स्तर पर लाया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नलिखित है:-

".....The parties are not disputing the fact that the 2019 Guidelines for selection of Angan Bari Sevika/Sahayika came into effect on 27.05.2019 specifically repealing the Guidelines of 2015-16.

In view thereof, the District Magistrate, after 27.05.2019, was not the competent authority for taking a decision on petitioner's appeal. Under Clause 12 of the 2019 Guidelines, it was the newly added Respondent No. 6 (Divisional Commissioner, Saran), who was the competent authority to consider and decide the appeal of the petitioner.

On this limited ground, the order of the Collector dated 12.07.2019, being without jurisdiction, is quashed.

The matter is remanded to the newly added Respondent No. 6 for taking decision afresh.

The parties are in agreement to facilitate expeditious consideration of the appeal, they would appear before the Divisional Commissioner (Respondent No. 6) on 28.11.2022.

This writ petition stands disposed of.

2. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह है कि ग्राम पंचायत राज-उत्तर सागर, प्रखण्ड-भगवानपुर हाट, जिला-सिवान के वार्ड सं0-09 के लिए सेविका पद पर चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया। जिसके आलोक में आवेदिका श्रीमती आशा कुमारी, पति-गजेन्द्र कुमार राय, विपक्षी सं0-02, श्रीमती सुगान्ती कुमारी, पति-विजेन्द्र कुमार कुशवाहा एवं अन्य अभ्यर्थियों द्वारा भी आवेदन प्रस्तुत किए गए। प्राप्त आवेदनो के आधार पर औपबंधिक वरीयता सूची तैयार किया गया जिसमें विपक्षी सं0-02, श्रीमती सुगान्ती कुमारी क्रम सं0-01 पर तथा आवेदिका श्रीमती आशा कुमारी क्रम सं0-02 पर रही है। इस क्रम में आयोजित आमसभा में विपक्षी सं0-02 श्रीमती सुगान्ती कुमारी का चयन सेविका पद हेतु किया गया। श्रीमती सुगान्ती कुमारी के सेविका पद पर चयन से असंतुष्ट होकर आवेदिका द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सिवान के समक्ष ऑगनबाड़ी (विविध) वाद सं0-56/2017-18 दायर किया गया। उक्त वाद की विधिवत सुनवाई के पश्चात दिनांक 17.04.2018 को पारित आदेश में विपक्षी सं0-02,

Scanned with OKEN Scanner

श्रीमती सुगान्ती कुमारी के चयन को रद्द कर दिया गया तथा उक्त वार्ड में चयन की प्रक्रिया को पूर्ण करने का आदेश दिया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सिवान के आदेश के विरूद्ध वर्त्तमान विपक्षी, श्रीमती सुगान्ती कुमारी द्वारा न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवान के समक्ष ऑगनबाड़ी अपीलवाद सं0-25/18-19 दायर किया गया, जिसकी सुनवाई के पश्चात दिनांक 12.07.2019 को पारित आदेश में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सिवान के आदेश को निरस्त कर दिया गया। उक्त के विरूद्ध वर्त्तमान आवेदिका श्रीमती आशा कुमारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष C.W.J.C No. 20580/19 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 01.11.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में वाद की सुनवाई इस स्तर पर की गयी है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया गया है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि ***ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 के कंडिका 06*** में स्पष्ट किया गया है कि *"सरकारी/गैर सरकारी नियोजन में कार्यरत व्यक्ति जिसकी मासिक आय 12000/- (बारह हजार) रू0 या उससे ज्यादा है/जन प्रतिनिधि/संवंधित प्रखण्ड के जन वितरण प्रणाली विक्रेता की पत्नी/बहू सेविका/सहायिका चयन के लिए अयोग्य होगी...."*

अभिलेख पर उपलब्ध विपक्षी सं0-02 के पति के आयकर विवरण से स्पष्ट है कि उनकी मासिक आय रू0 12000/- मासिक से ज्यादा है, ऐसे में विपक्षी का चयन ऑगनबाड़ी सेविका के पद पर किया जाना विभागीय मार्गदर्शिका के प्रावधानो के विपरीत है।

उक्त के आधार पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि जिला पदाधिकारी, सिवान के प्रश्नगत आदेश को निरस्त किया जाए तथा प्रस्तुत पुनरीक्षण अपीलवाद को स्वीकृत किया जाए।

4. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि **ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 के कंडिका 06** में स्पष्ट रूप से मासिक आय का उल्लेख किया गया है, जबकि विपक्षी के पति L.I.C अभिकर्त्ता के रूप में कार्यरत है जिन्हे उनके कार्य के बदले मासिक आय नही बल्कि कमीशन का भुगतान किया जाता है, जो स्थायी नहीं होता है। ऐसे में विपक्षी के पति को कमीशन से प्राप्त राशि को मासिक आय के रूप में नहीं रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में **ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 के कंडिका 06**

Scanned with OKEN Scanner

प्रावधान विपक्षी सं0-02 पर लागू नहीं होते है। उनके द्वारा आगे यह भी कहा गया कि **ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2019** दिनांक 27.05.2019 से प्रभाव में आया है जबकि जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा उक्त तिथि के पूर्व सुनवाई प्रारम्भ कर दी गयी थी तथा दिनांक 12.07.2019 को आदेश पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा पारित आदेश समुचित और नियमानुकूल है, जिसे यथावत रखा जाय।

5. विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा वाद के बिन्दुओं के संबंध में बताया गया कि प्रस्तुत वाद जिला-सिवान, प्रखण्ड-भगवानपुर हाट, ग्राम पंचायत राज-उत्तर सागर के वार्ड सं0-09 में सेविका चयन से संबंधित है। औपबंधिक मेधा सूची के क्रम सं0-01 पर रहने के कारण आमसभा द्वारा विपक्षी श्रीमती सुगान्ती कुमारी, पति-विजेन्द्र कुमार कुशवाहा का चयन किया गया था। उक्त चयन के विरुद्ध जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सिवान के समक्ष दायर आँगनबाड़ी विविध वाद सं0-56/17-18 में दिनांक 17.04.2018 को पारित आदेश में अंकित है कि :-

".....जॉच के क्रम में L.I.C office मुख्य शाखा, सिवान से प्राप्त Statement/L.I.C office Maharajganj एवं Sahara Office, Basantpur, Siwan द्वारा प्राप्त Statement का अवलोकन किया गया, जिस क्रम में चयनित सेविका सुगान्ती कुमारी के पति विजेन्द्र कुमार कुशवाहा एक L.I.C Agent है, जिनकी मासिक आय 12000.00 (बारह हजार) रूपये से अधिक है, जो समेकित बाल विकास सेवाएँ अन्तर्गत ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 के कंडिका (में सरकारी/गैर सरकारी नियोजन में कार्यरत व्यक्ति जिनकी मासिक आय 12000 रूपये (बारह हजार) रूपये मात्र या उससे ज्यादा है। ऑगनबाड़ी सेविका/ सहायिका के लिए चयनित नहीं किया जायेगा) को उल्लंघन करता है।...."

अतः आवेदिका द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र/अभिलेख में अवस्थित कागजात के अवलोकनोपरांत सुगान्ती कुमारी, पति-विजेन्द्र कुमार कुशवाहा, साकिन महना पोस्ट बंसोही, ग्राम पंचायत राज उत्तरी सागर सुल्तानपुर वार्ड सं0-09 का सेविका पद से चयन रद्द किया जाता है।....."

6. विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा आगे बताया गया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सिवान के उक्त आदेश के विरुद्ध विपक्षी सुगान्ती कुमारी द्वारा जिला पदाधिकारी, सिवान के समक्ष ऑगनबाड़ी अपीलवाद सं0-25/18-19 दायर किया गया, जिसकी सुनवाई के पश्चात दिनांक 12.07.2019 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया है:-

".....अपीलार्थी के पति भारतीय जीवन बीमा निगम एवं सहारा इंडिया में अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करते है और इस तथ्य को अपीलार्थी द्वारा भी न्यायालय में स्वीकार किया गया है। इनका कोड सं0-01212/531 है। विभागीय मार्गदर्शिका, 2016 की कंडिका 6 के अनुसार सरकारी/गैर सरकारी नियोजन में कार्यरत व्यक्ति जिनकी मासिक आय 12000/- या उससे ज्यादा है, उनकी पत्नी/बहू/सेविका/सहायिका के लिये अयोग्य होगी। अपीलार्थी के पति सरकारी अथवा गैर

Scanned with OKEN Scanner

सरकारी नियोजन में कार्यरत नहीं है, जिसके लिए उनको कोई मासिक वेतन या मानदेय निर्धारित हो। वे जीवन बीमा निगम में एजेन्ट के रूप में कार्यरत है और किए गए कार्यो के विरूद्ध उनको सिर्फ कमीशन मिलता है जो मासिक आय की श्रेणी में नहीं आता है। चूँकि अपीलार्थी के पति कमीशन आधारित पद पर कार्यरत है अतएव वो सरकारी/गैर सरकारी नियोजन की श्रेणी में नहीं आते है और इस प्रकार विभागीय मार्गदर्शिका की कंडिका 6 अपीलार्थी पर लागू नही होता है। निम्न न्यायालय का आदेश विभागीय मार्गदर्शिका के प्रावधानों के विरूद्ध है, अतएवं इसे खारिज करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।...''

जिला पदाधिकारी, सिवान के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदिका आशा कुमारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष C.W.J.C No. 20580/2019 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 01.11.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में वाद की सुनवाई इस स्तर पर की गयी है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को विस्तार पूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजात एवं निम्न न्यायालीय आदेश का अवलोकन किया। उक्त के अवलोकन में निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आते हैः-

(i) प्रश्नगत ऑगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका के चयन हेतु प्राप्त आवेदनों के औपबंधिक वरीयता सूची में विपक्षी सं0-02 श्रीमती सुगान्ती कुमारी, पति-विजेन्द्र कुमार कुशवाहा, क्रम सं0-01 पर रही है।

(ii) औपबंधिक मेधा सूची के क्रम सं0-01 पर रहने के कारण विपक्षी सं0-02 का चयन प्रश्नगत ऑगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका के रूप में किया गया है।

(iii) अभिलेख पर उपलब्ध कागजात के अवलोकन में विपक्षी सं0-02, श्रीमती सुगान्ती कुमारी के पति श्री विजेन्द्र कुमार कुशवाहा को "CONVENTIONAL AGENT" के रूप में दर्शाया गया है। साथ ही उनके ''सहारा इंडिया परिवार'' के कर्मी के रूप में कार्यरत रहने का साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है।

(iv) अभिलेख पर उपलब्ध 'Extract of Agency Earnings' विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री कुशवाहा L.I.C अभिकर्त्ता का वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल आय रू0 **3,91,797.70** एवं आयकर कटौती रू0 **19,599.00** रहा है तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल आय रू0 **3,89,685.91** एवं आयकर कटौती रू0 **19,483.00** है।

Scanned with OKEN Scanner

उपर्युक्त स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी श्रीमती सुगान्ती कुमारी के पति श्री विजेन्द्र कुमार कुशवाहा किसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी नियोजन में कार्यरत नहीं है, जिसके कारण उन्हें कोई नियमित मासिक वेतन या मानदेय निर्धारित नही है। विपक्षी के पति भारतीय जीवन बीमा निगम में एजेन्ट के रूप में कार्यरत है और उन्हे किए गए कार्यो के लिए सिर्फ कमीशन मिलता है जो मासिक आय की श्रेणी में नहीं आता है। चूँकि विपक्षी के पति कमीशन आधारित पद पर कार्यरत है ऐसे में **आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 के कंडिका-6** के प्रावधान विपक्षी सं0-02, श्रीमती सुगान्ती कुमारी पर लागू नहीं होते है।

उपर्युक्त वर्णित कारण से प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र पर विपक्षी श्रीमती सुगान्ती कुमारी, पति श्री विजेन्द्र कुमार कुशवाहा के चयन को विभागीय नियमावली के अनुकूल उसे यथावत रखा जाता है।

तदनुसार प्रस्तुत पुनरीक्षण अपीलवाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

Scanned with OKEN Scanner